

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-06/2014/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

रेनु लता,  
निदेशक,  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बाँका, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, प0 चम्पारण (बेतिया), पूर्वी0 चम्पारण (मोतिहारी), सारण, सिवान एवं गोपालगंज, ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-1033, दिनांक 21.07.2014 के आलोक में राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि रु 56,13,100/- (छप्पन लाख तेरह हजार एक सौ) रुपये मात्र।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल0 जी0-1-09/2014: लेज 82 एवं 83 दिनांक-24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया है।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 तक के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।

3. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-253 दिनांक 11.03.2014 एवं पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृतिदेश संख्या-1033, दिनांक- 21.07.2014 के आलोक में चतुर्थ रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण हेतु स्वीकृत योजना के अनुरूप वित्तीय वर्ष-2014-15 में नियमानुसार आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ...../पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक 22 ...../पटना, दिनांक 28.08.14 .....

प्रतिलिपि: 1/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी

2/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	16-01 प्रपत्रों का मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	40000	145540	-	-	-	185540
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
2	पटना	2500	-	-	10350	327000	339850
3	नालंदा	2500	-	-	6240	130800	139540
4	भोजपुर	2500	-	-	6240	130800	139540
5	बक्सर	2500	-	-	4160	87200	93860
6	रोहतास	2500	-	-	6240	130800	139540
7	कैमूर (भभुआ)	2500	-	-	4160	87200	93860
8	गया	2500	-	-	8610	196200	207310
9	नवादा	2500	-	-	5950	109000	117450
10	औरंगाबाद	2500	-	-	6240	130800	139540
11	जहानाबाद	2500	-	-	3870	65400	71770
12	अरवल	2500	-	-	3290	21800	27590
13	मुंगेर	2500	-	-	3870	65400	71770
14	जमुई	2500	-	-	4160	87200	93860
15	लखीसराय	2500	-	-	3870	65400	71770
16	शेखपुरा	2500	-	-	3580	43600	49680
17	बेगूसराय	2500	-	-	6240	130800	139540
18	खगड़िया	2500	-	-	4160	87200	93860
19	भागलपुर	2500	-	-	6530	152600	161630
20	बांका	2500	-	-	5950	109000	117450
21	पूर्णियाँ	2500	-	-	6820	174400	183720
22	किशनगंज	2500	-	-	4160	87200	93860
23	अररिया	2500	-	-	6240	130800	139540
24	कटिहार	2500	-	-	6530	152600	161630

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हे आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	16-01 प्रपत्रों का मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
25	सहरसा	2500	-	-	5950	109000	117450
26	सुपौल	2500	-	-	5950	109000	117450
27	मधेपुरा	2500	-	-	5950	109000	117450
28	दरभंगा	2500	-	-	6820	174400	183720
29	मधुबनी	2500	-	-	8900	218000	229400
30	समस्तीपुर	2500	-	-	8610	196200	207310
31	मुजफ्फरपुर	2500	-	-	8900	218000	229400
32	सीतामढ़ी	2500	-	-	6820	174400	183720
33	शिवहर	2500	-	-	3580	43600	49680
34	वैशाली	2500	-	-	6820	174400	183720
35	प० चम्पारण	2500	-	-	6820	174400	183720
36	पूर्व० चम्पारण	2500	-	-	9190	239800	251490
37	सारण	2500	-	-	6820	174400	183720
38	सिवान	2500	-	-	6530	152600	161630
39	गोपालगंज	2500	-	-	6240	130800	139540
	कुल योग:-	135000	145540	-	231360	5101200	5613100

छपपन लाख तेरह हजार एक सौ रुपये मात्र।

22/08/14

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय